रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267685 CG-DL-E-14112025-267685

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5019]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 5019]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025

का.आ. 5188(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनगर्ठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) का निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात -:

- 2. उक्त अधिनियम में.-
- (i) धारा 2 में, " पंजाब राज्य " शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र " शब्द रखे जायेंगे।
- (ii) धारा 3 का लोप किया जाएगा I

[फा. सं. य-11036/6/2025-यटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

7616 GI/2025 (1)

उपाबंध

भाग 1

पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

तारीख 1 अक्तूबर, 2020

सं.16-विधा./2020.—पंजाब राज्य के विधान-मंडल के निम्नलिखित अधिनियम, जिसे पंजाब के राज्यपाल की अनुमित 22 सितंबर, 2020 को प्राप्त हुई, को साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 13)

अधिनियम

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को पंजाब राज्य में लागू करने हेतु और संशोधन करने के लिए है।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त और प्रभावी होगा।
- 2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, जो पंजाब राज्य में इसके लागू होने के संबंध में है, की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (क), खंड (ख) और तत्दीन परंतुक में "बीस" शब्द के स्थान पर "पचास" शब्द रखा जाएगा।
- 3. (1) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (पंजाब संशोधन) अध्यादेश, 2020, जो पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) तारीख 11 अगस्त, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कृत्य या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ I

1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37 की धारा 1 का संशोधन।

निरसन और व्यावृत्ति

एस. के. अग्रवाल, सचिव, पंजाब सरकार, विधि और विधायी कार्य विभाग।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2025

S.O. 5188(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Contract Labour (Regulation And Abolition) (Punjab Amendment) Act, 2020 (Punjab Act 13 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), as in force in the State of Punjab to the Union territory of Chandigarh, on the date of publication of this notification, subject to the following

modifications, namely:-

- 2. In the said Act, -
 - (i) in section 2, for the words "State of Punjab", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
 - (ii) section 3 shall be omitted.

[F. No. U-11036/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

ANNEXURE

PART I

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 1st October, 2020

No.16-Leg./2020.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 22nd day of September, 2020, is hereby published for general information:-

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2020

(Punjab Act No. 13 of 2020)

AN

ACT

further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in i application to the State of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy- first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Punjab Amendment) Act, 2020.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in its application to the State of Punjab, in section 1, in sub-section (4), in clauses (a), (b) and the proviso thereunder, for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted.

Amendment of section 1 of Central Act 37 of 1970.

3. (1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) (Punjab Amendment) Ordinance, 2020, published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary) dated the 11th August, 2020, is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act, as amended by this Act.

S. K. AGGARWAL,

Secretary to Government of Punjab

Department of Legal and Legislative Affairs.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025

का.आ. 5189(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनगर्ठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) व की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, औधोगिक विवाद (पंजाब संशोधन)अधिनियम, 2020 (2020 का पंजाब अधिनियम संख्याक 14 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।) का निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थातः-

- 2. उक्त अधिनियम में,-
- (i) धारा 2 का लोप किया जाएगा ¬;
- (ii) धारा 3 में, "मूल अधिनियम" शब्दों के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) धारा 4 का लोप किया जाएगा;
- (iv) धारा 5 का लोप किया जाएगा;
- (v) धारा 6 का लोप किया जाएगा;
- (vi) धारा 7 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11036/6/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय,संयुक्त सचिव

<u>उपाबंध</u>

भाग-1

पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभागपंजाब,

अधिसूचना

तारीख 1 अक्तूबर, 2020

सं. 17-विधा./2020.— पंजाब राज्य के विधान मंडल के निम्नलिखित अधिनियम, जिसे पंजाब के राज्यपाल की अनुमित 23 सितंबर, 2020 को प्राप्त हुई, को साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

औधोगिक विवाद (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 14)

अधिनियम

जो औधोगिक विवाद अधिनियम ,1947 को पंजाब राज्य में लागू करने हेतु और संशोधन करने के लिए है। भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में पंजाब विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औधोगिक विवाद (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

संक्षिप्त नाम और प्रांरभ

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त और प्रभावी होगा।

2. औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के पंजाब राज्य में इसके लागू होने के संबंध में धारा 2क में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) जोड़ी जाएगी, अर्थात् – 1947 का केंद्रीय अधिनियम 14 की धारा 2क का संशोधन

"(4) उपधारा 1, उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति छंटनी या पर्यवसान से संसक्त या उद्भूत कोई विवाद या मतभेद औधोगिक विवाद समझा जाएगा, यदि ऐसा विवाद ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान की तारीख से तीन वर्ष की अविध के भीतर सुलह कार्यवाही में नहीं उठाया जाता है:

परंतु कोई प्राधिकारी, जो राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तीन वर्ष की उक्त अविध के विस्तार के लिए विचार कर सकेगा, जब आवेदक कर्मकार प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास तीन वर्ष की अविध की अविध के भीतर विवाद न उठाने का प्रयीप्त कारण था।"

"25ट अध्याय 5ख का लागू होना।

- मूल अधिनियम में धारा 25ट के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी:-
- (1) इस अध्याय के उपबंध ऐसे औधोगिक स्थापन को, (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्य-दिवस को औसतन कम से कम तीन सौ कर्मकार नियोजित थे।
- (2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि औधोगिक शांति बनाए रखने या कर्मकारों के उत्पीड़न के निवारण के लिए, ऐसी अपेक्षा है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के उपबंधों को किसी औधोगिक स्थापन पर लागू कर सकेगी (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रुप से होता है) जिसमें पूर्वगामी बारह मास के लिए प्रति कार्य-दिवस औसतन कम से कम तीन सौ कर्मकार, किंतु एक सौ से अन्यून कर्मकार, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, नियोजित थे।
- (3) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औधोगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरिक रूप से होता है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

1947 का केंद्रीय अधिनियम 14 की धारा 25ढ का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 25ढ में –

अर्थात:-

- (i) उपधारा (1) के खंड (क) में "या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो" चिन्हों और शब्दों का लोप किया जाएगा; और
- (ii) उपधारा (9) में "छह मास" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे अर्थात, "और उसके तीन मास के औसत वेतन के बराबर रकम "I

"आर उसक तान मास के आसत वतन के बराबर रकम "I 5. मूल अधिनियम की धारा 25-ण में उपधारा (8) में, "छह मास" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे अर्थात्,

"और उसके तीन मास के औसत वेतन के बराबर रकम"।

6. मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची के भाग ।। में, पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा,

1947का केंद्रीय अधिनियम 14 की पांचवी अनुसूची का संशोधन

"स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "धीमी गित" से किसी उधोग में नियोजित किसी भी संख्या में व्यक्तियों द्वारा, संयोजन में सामान्य समझ के साथ कार्य करते हुए, उत्पादन या कार्य की प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा करने या विलंबित करने का कोई कार्यकलाप है चाहे इसे नियम के अनुसार कार्य करने या किसी अन्य नाम से कहा जाए, ताकि स्थापन के कर्मकार या कर्मकारों के उत्पादन या कार्य या आउटपुट का निश्चित या औसत या सामान्य स्तर प्राप्त न हो सके, अभिप्रेत है:

परंतु मानक क्वालिटी वाले उत्पादन या कार्य के लिए सभी आवश्यक सामग्री या इनपुट समय पर और पार्यप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं।"

7. (1) औधोगिक विवाद (पंजाब संशोधन) अध्यादेश, 2020, जो 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुआ था, निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कृत्य या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

> एस. के अग्रवाल, सचिव, पंजाब सरकार, विधि और विधायी कार्य विभाग

1947 का केंद्रीय अधिनियम 14 की धारा 25ण का संशोधन

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2025.

- **S.O.** 5189(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Industrial Disputes (Punjab Amendment) Act, 2020 (Punjab Act No. 14 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), as in force in the State of Punjab to the Union Territory of Chandigarh, on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-
 - 2. In the said Act,
 - (i) section 2 shall be omitted;
 - (ii) in Section 3, after the words "Principal Act", the words "in its application the Union territory of Chandigarh" shall be inserted;
 - (iii) section 4 shall be omitted;
 - (iv) section 5 shall be omitted;
 - (v) section 6 shall be omitted;
 - (vi) section 7 shall be omitted.

[F. No. U-11036/6/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

ANNEXURE

PART I

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 1st October, 2020

No.17-Leg./2020.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 23rd day of September, 2020, is hereby published for general information:-

THE INDUSTRIAL DISPUTES (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2020

(Punjab Act No. 14 of 2020)

AN

ACT

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the State of Punjab.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Industrial Disputes (Punjab Amendment) Act, 2020.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Punjab, in section 2A, after sub- section (3), the following sub-section (4) shall be added, namely:-

Amendment of section 2A of Central Act 14 of 1947

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3), no such dispute or difference between that workman and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute if such dispute is not

raised in conciliation proceeding within a period of three years from the date of such discharge, dismissal, retrenchment or termination:

Provided that an authority, as may be specified by the State Government, may consider to extend the said period of three years when the applicant workman satisfies the authority that he had sufficient cause for not raising the dispute within the period of three years."

3. In the principal Act, for section 25K, the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 25K of Central Act 14 of 1947.

"25 K. Application of Chapter VB.

- (1). The provisions of this Chapter shall apply to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than three hundred workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, if satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of workmen so requires, by notification in the Official Gazette apply the provisions of this Chapter to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently), in which less than three hundred workmen but not less than one hundred workmen, as may be specified in the notification, were employed on an average per working day for the preceding twelve months.
- (3) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final.".
- 4. In the principal Act, in section 25 N,-
 - (i) in sub-section (1), in clause (a), the signs and words ", or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice" shall be omitted; and
 - (ii) in sub-section (9), after the words "six months", the following words shall be added, namely:-

"and an amount equivalent to his three months average pay".

- 5. In the principal Act, in section 25-O, in sub-section (8), after the words "six months", the following words shall be added, namely:-
- "and an amount equivalent to his three months average pay".

6. In the principal Act, in Fifth Schedule, in part II, after paragraph 5, the following Explanation shall be added, namely:-

"Explanation.- For the purpose of this paragraph, 'go slow' means any such activity by any number of persons, employed in any industry, acting in combination or with common understanding, to slow down or to delay the process of production or work purposely whether called by work to rule or by any other name, so as the fixed or average or normal level of production or work or output of workman or workmen of the establishment is not achieved:

Provided that all necessary ingredients or inputs for standard quality production or work are made available in time and in sufficient quantity.".

7. (1) The Industrial Disputes (Punjab Amendment) Ordinance, 2020, published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary) dated the 11th August, 2020, is hereby repealed.

Amendment of section 25N of Central Act 14 of 1947.

Amendment of section 25-O of Central Act 14 of 1947.

Amendment of Fifth Schedule of Central Act 14 of 1947.

Repeal and

saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

S.K. AGGARWAL

Secretary to the Government of Punjab Department of Legal and Legislative Affairs.